P ✓

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/149

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128	95/24	5/4/2024	22/5/24 निर्णीत	18/4/2024

अनवान

श्री कैलाश s/o नन्दा जाति मीणा

निवासी अमरपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री रामफूल धाकड़

श्री चन्द्रादेवी w/o रमेश जाति मीणा

निवासी अमरपुरा

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

मदयून

श्री ...

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

कैलाश बनाम इन्द्रा देवी

किस्म मुकदमा – 111-128 नम्बर 95/2024

रीख ...क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/4/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/4/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	9/5
18/4/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 16/5/24 को वास्ते Ao/प पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
16/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया। पत्रावली में एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 22/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
22/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध आदेश पारित किए गए एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 5/4/24

प्रकरण संख्या :– 95/24

अनवान

01. कैलाश पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. पानी पत्नि स्व. नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. रमेश पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04. शम्भू पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. इन्द्रादेवी पत्नि रमेश जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. दुर्गादेवी पत्नि शैतान जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. सीता पत्नि कैलाश जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. शंकर पुत्र किशना जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. अर्जुन पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

दिनांकः 22/5/24

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र **कैलाश, रमेश, शम्भू पुत्र नन्दा, पानी पत्नि स्व. नन्दा जाति मीणा निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा बडोदिया पटवार हल्का जलिन्द्री में स्थित खाता संख्या 155 पर अंकित आराजी संख्या 433/2, 433/4 कुल किता 02 रकबा 0.4047 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 156 पर अंकित आराजी संख्या 434/1, 436/1 कुल किता 02 रकबा 0.8498 हैक्टेयर** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2078–2078 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा बडोदिया पटवार हल्का जलिन्द्री में स्थित खाता संख्या 155 पर अंकित आराजी संख्या 433/2, 433/4 कुल किता 02 रकबा 0.4047 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 156 पर अंकित आराजी संख्या 434/1, 436/1 कुल किता 02 रकबा 0.8498 हैक्टेयर** बशामलात पडौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 95/24 तारीख 5/4/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....95........./2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

01. कैलाश पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. पानी पत्नि स्व. नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. रमेश पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04. शम्भू पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. इन्द्रादेवी पत्नि रमेश जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. दुर्गादेवी पत्नि शैतान जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. सीता पत्नि कैलाश जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. शंकर पुत्र किशना जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. अर्जुन पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **मौजा बडोदिया पटवार हल्का जलिन्द्री में स्थित खाता संख्या 155 पर अंकित आराजी संख्या 433/2, 433/4 कुल किता 02 रकबा 0.4047 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 156 पर अंकित आराजी संख्या 434/1, 436/1 कुल किता 02 रकबा 0.8498 हैक्टेयर** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)